ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर , विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर , विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती कौशल्या देवी	01.03.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री घनश्याम	01.03.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	05.26
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	07.64

3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.30
4	6(ख)	दुकान किराया न वसूलने बारे	06.31
5	6(ङ)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	0.13
6	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.38
7	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.02

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर , विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-05-2024 से 24-05-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**03/23**	**05/22**
2023-24	**07/23**	**01/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न

होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर , विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-310 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व 5 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व 5वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2425953.48	704525	3130478.48	801153	2329325.48
2023-24	2329325.48	896317	3225642.48	1007658	2217984.48

(ii) अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	514601	711244	1225845	793290.2	432554.8
2023-24	432554.8	1092592	1525146.8	1395556.3	129590.5

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **2347574.98**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023 (₹)
H.P State cooperative bank,Rewalsar	32110104921	Own source & 5th state	2409150.48
H.P State cooperative bank,Rewalsar	32110105416	Planning head	464911.48
H.P State cooperative bank,Rewalsar	32110116782	RGSA	0
H.P State cooperative bank,Rewalsar	32110114363	SBM	0
		Total	**2874061.96**

बैंक समाधान विवरणी :-		
स्व: स्त्रौत व 5 वां वित्त आयोग:-		
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**2217984.48**
अनुदान :-		
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**129590.5**
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		2347574.98
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	2874061.96
	अन्तर की राशि	**526486.98**

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2154970.87	1674914	3829884.87	1666753.57	2163131.3
2023-24	2163131.3	532859	2695990.3	2061648.89	634341.41

Bank Reconcilation as on 31 03-2024

Balance as per cash book	634341.41
Balance as per Pass book A/C no. 32110115941	**634341.41**
Net Difference	**nil**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	3806639.3	0	3806639.3	3806639.3	0
2023-24	0	10370551	0	10370551	10370551	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹05.26 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹526486.98** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹ 07.64 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹7,63,931.91 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान

राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.30 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹30360** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत राजस्व दुकान के किराए की राशि ₹06.31 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का, संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दुकान के किराए के रूप में ₹631106 /- की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-(च)** में दिया गया है जिसकी वसूली, अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) दुकानों के किराए की वसूली में अनियमितताएँ :-

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर की दुकानों के किराए से संबन्धित आय का अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमितताएँ पाई गयी ।

(i) ग्राम पंचायत के दुकानों के किराए के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के अधीन कुल 21 दुकानें है जिनका किराया ग्राम पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है ।

सभी दुकानें किराए पर आबंटित की गयी है परंतु 21 में से केवल 14 दुकानदारों के साथ ही किराए के अनुबंध बनाये गए है । अतः सभी किराएदारों/दुकानदारों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करवाये जाये तथा मासिक किराये में वृद्धि का प्रावधान करते हुए समय समय पर इन अनुबंधों का नवीकरण भी किया जाये ।

(ii) 10 दुकानदारों से ₹06.13 लाख की राशि वसूली हेतु शेष :-

जांच में पाया कि कुल बकाया दुकान किराये की राशि में से ₹613060 केवल 10 दुकानदारों से बकाया था । अतः नियमानुसार इन दुकानदारों से दुकान किराए की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । दिनांक 31.03.24 तक **परिशिष्ट (छ)** में वर्णित दुकानदारों की बकाया दुकान किराए की राशि वसूली हेतु शेष है । अतः शीघ्र समस्त बकाया दुकान किराए की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना:-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹2000** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	93	Nil	हरीश कुमार सुपुत्र श्री बेली राम	24.04.22	04.05.22	200	0	200
2	97	Nil	भारती देवी सुपुत्री श्री खूब राम	18.02.23	17.04.23	400	0	400
3	98	Nil	गीतांजलि सुपुत्री श्री ज्ञान चंद	25.09.23	10.10.23	200	0	200

4	99	Nil	गिरधारी लाल सुपुत्र श्री योगराज	20.10.23	02.11.23	200	0	200
5	100	Nil	तिलक राज सुपुत्र श्री दीनानाथ	10.11.23	23.01.24	400	0	400
6	101	Nil	गीतनंद सुपुत्र श्री बाल कृषण	20.01.24	23.01.24	200	0	200
7	102	Nil	लीलाधार सुपुत्र श्री भिखम राम	14.02.24	04.03.24	200	0	200
8	102	Nil	अंकित सुपुत्र श्री राजू	08.02.24	04.03.24	200	0	200
								2000

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-294 दिनांक 17.05.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ङ) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.13 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारीयों को

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए थे ।

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर , विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹12600 /- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	7200
2.	2023-24	5400
	कुल जोड़	**12600**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बन्धित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-295 दिनांक 17.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर , विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति

निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल अलमीरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर पंखे बर्तन लैपटाप प्रिंटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था।इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 09 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जोकि गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-299 दिनांक 18.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा रष्ट्रिय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.38 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य

बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹37743.80 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ज)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-306 दिनांक 21.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.02 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1616.18 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर (₹)	राशि (₹)
	15वां वित्त आयोग					
1	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी	029/29.03.22	जेसीबी कटिंग	29700	1.00%	297.00
2	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी	030/29.03.22	जेसीबी कटिंग	6300	1.00%	63.00
3	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी	083/10.12.22	जेसीबी कटिंग	59000	1.00%	590.00

	सामान्य निधि					
4	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी	027/25.03.22	जेसीबी कटिंग	11999	1.00%	119.99
5	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी	036/02.04.22	जेसीबी कटिंग	54618.9	1.00%	546.19
						1616.18

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-305 दिनांक 21.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹02.18 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹ 218165 की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त बर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	1356-57/08.03.2022	15 वां वित्त आयोग	विहान ट्रेडर	हार्डवेर आइटम	40053

2	0242/11.01.23	15 वां वित्त आयोग	स्वस्तिक एंटरप्राइज़	हार्डवेर आइटम	46569
3	1692/22.01.24	निधि	एम/एस जे पी ब्रदर	टाइल्स	36319
4	1098/31.01.23	15 वां वित्त आयोग	पवन कुमार & ब्रदर	हार्डवेर आइटम	95224
					218165

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-304 दिनांक 20.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई आदायगी को तनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड

पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-297 दिनांक 18.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(घ) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वयन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	762	90	672	951	419	419	16686	21	389409	372723
2023-24	295	250	45	1005	641	641	35851	101	122916	87065

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-308 दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ङ) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹24.96 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹24.96 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹56.71 लाख की जगह ₹31.75 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹24.96 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹85.07 लाख की जगह ₹110.03 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹24.96 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
2022-23	38.06	26.43	22.83	11.63	15.22
2023-24	103.73	83.6	62.24	20.12	41.49
कुल आय	**141.79**	**110.03**	**85.07**	**31.75**	**56.71**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-307 दिनांक 22.05.2022 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि **₹**24.96 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि **₹**24.96 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके

ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार

सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

23.7.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

23 JUL 2024 कृ0/ग0
3595 – 3599

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 28/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JUL 2024

23.7.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

कृ0/ग0

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**विवरण**	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क (मांग एवं प्राप्ति अनुसार) ₹6000 बनता था, जिसे ड्राफ्ट संख्या 167329 दिनांक 19.06.2018 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
4	पैरा-5	पुनः प्रारूपित	
5	पैरा-6	पुनः प्रारूपित	
6	पैरा-7	अनिर्णीत	
7	पैरा-8	निर्णीत	ग्राम पंचायत द्वारा जलपान बिल से संबन्धित अंकेक्षण वसूली को रसीद संख्या 370155 दिनांक 14/05/2024 के तहत पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है ।
8	पैरा-9	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	निर्णीत	अंकेक्षण की दिशा-निर्देश के तहत ग्राम पंचायत लोअर रिवलसर द्वारा क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार भंडार रजिस्टर में कर दी गयी है जिसका उल्लेख मुद्रण स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 3 व स्थायी स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 31 व 32 में दर्ज किया गया है जिसकी छायावृति अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी गयी है ।

10	पैरा-11	अनिर्णीत	
11	पैरा-12	निर्णीत	अंकेक्षण की दिशा निर्देश के तहत ग्राम पंचायत बैहल का सामाजिक अंकेक्षण हर वर्ष नियमानुसार किया जा रहा है।
12	पैरा-13	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	7
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	14

पत्र संख्या – 5(1)
परिशिष्ट – (2ब)

Financial position of own sources & 5th state of Gram Panchyat Rewalsar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2425953.48	704525	3130478.48	801153	2329325.48
2023-24	2329325.48	896317	3225642.48	1007658	2217984.48

सचिव
ग्राम पंचायत लो० रिवालसर
विकास खण्ड बल्ह
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मद संख्या - 5(ii)
परिशिष्ट - (ग)

25

Financial position of grants in aid of Gram Panchyat lower Rewalsar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	514601	711244	1225845	793290.2	432554.8
2023-24	432554.8	1092592	1525146.8	1395556.3	129590.5

सचिव
ग्राम पंचायत लो० रिवालसर
विकास खण्ड बल्ह
जिला मण्डी (हि०प्र०)

28

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व स्त्रौत :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**2217984.48**
अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**129590.50**
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष			2347574.98
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		2874061.96
		अन्तर की राशि	**526486.98**

सचिव
ग्राम पंचायत लो०रिवालसर
विकास खण्ड बल्ह
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या- 5(iii)
परिशिष्ठ- (ज)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat lower Rewalsar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2154970.87	1674914	3829884.87	1666753.57	2163131.3
2023-24	2163131.3	532859	2695990.3	2061648.89	634341.41

सचिव
ग्राम पंचायत लो०रिवालसर
विकास खण्ड बल्ह
जिला मण्डी (हि०प्र०)

परिशिष्ट (ड) (पैरा 6(क) में वर्णित)
पैरा संख्या - 6(क)

ARREAR OF PROPERTY TAX

YEAR	OP. BALANCE	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	CLOSING BALANCE
2022-23	0	27600	27600	27600	0
2023-24	0	30360	30360	0	30360

परिवारों का सम्पति कर वर्ष 2022-23 का मार्च 2022 से पहले ले लिया गया है
तथा 2023-24 का सम्पति कर लिया जाना शेष है |

परिशिष्ट (-च) (पैर 5(ञ) में वर्णित)

SHOP RENT ARREAR

YEAR	OP. BALANCE	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	CLOSING BALANCE
2022-23	502574	390968	893542	255000	638542
2023-24	638542	390968	1029510	398404	631106

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
जिला [illegible] (हि०प्र०)

पैरा संख्या 6 (वा)-(ii)

परिशिष्ठ-(द)

क्रम संख्या	दुकान संख्या	किरायेदार का नाम	वसूली का विवरण	राशी
1	4	श्री ओम प्रकाश	31-03-2024 तक वकाया राशी	113550
2	7	श्री सुरेन्द्र पाल	31-03-2024 तक वकाया राशी	48650
3	11	ऐम चन्द	31-03-2024 तक वकाया राशी	63000
4	13	कमल देव	31-03-2024 तक वकाया राशी	36000
5	15	देविन्द्र कुमार	31-03-2024 तक वकाया राशी	36530
6	16	अशोक कुमार	31-03-2024 तक वकाया राशी	130100
7	17	रजनीश कुमार	31-03-2024 तक वकाया राशी	35000
8	20	सुशील कुमार	31-03-2024 तक वकाया राशी	40600
9	1	विजय कुमार	31-03-2024 तक वकाया राशी	64080
10	२	सोमा देवी	31-03-2024 तक वकाया राशी	45550
				613060

पैरा संख्या - 8 (क)
परिशिष्ट - (ज)

31

Detail of Royalty ⇒

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	15th fc								
1	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	164/15.12.24	रेत	9523.8	5.00	1.62	8.10	80	648.00
2	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	164/15.12.24	बजरी	3809.52	2.00	1.52	3.04	80	243.20
3	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	164/15.12.24	पत्थर	23333.31	12.50	2.24	28.00	80	2240.00
	सामान्य निधि								
4	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	184/02.02.24	रेत	11428.56	6.00	1.62	9.72	80	777.60
5	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	184/02.02.24	बजरी	7619.04	4.00	1.52	6.08	80	486.40
6	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	182/02.02.24	रेत	7619.04	4.00	1.62	6.48	80	518.40
7	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	183/02.02.24	रेत	9523.8	5.00	1.62	8.10	80	648.00
8	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	181/02.02.24	रेत	22857.12	12.00	1.62	19.44	80	1555.20
9	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	181/02.02.24	बजरी	15238.08	8.00	1.52	12.16	80	972.80
10	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	181/02.02.24	पत्थर	3809.52	2.00	2.24	4.48	80	358.40
	मनरेगा								
11	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	178/22.12.23	पत्थर	106666.56	56.00	2.24	125.44	80	10035.20
12	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	016/15.11.21	रेत	15857.1	9.00	1.62	14.58	60	874.80
13	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	016/15.11.21	बजरी	7047.6	4.00	1.52	6.08	60	364.80
14	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	017/15.11.21	रेत	15857.1	9.00	1.62	14.58	60	874.80
15	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	017/15.11.21	बजरी	7047.6	4.00	1.52	6.08	60	364.80
16	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	021/16.11.21	रेत	15857.1	9.00	1.62	14.58	60	874.80
17	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	021/16.11.21	बजरी	7047.6	4.00	1.52	6.08	60	364.80
18	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	022/16.11.21	रेत	17619	10.00	1.62	16.20	60	972.00
19	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	022/16.11.21	बजरी	38761.8	22.00	1.52	33.44	60	2006.40
20	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	024/16.11.21	रेत	20554.27	11.00	1.62	17.82	60	1069.20
21	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	024/16.11.21	बजरी	1868.57	1.00	1.52	1.52	60	91.20
22	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	024/16.11.21	कट स्टोन	5000	3.00	2.24	6.72	60	403.20
23	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	018/15.11.21	रेत	15857.1	9.00	1.62	14.58	60	874.80
24	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	018/15.11.21	बजरी	7047.6	4.00	1.52	6.08	60	364.80
25	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	031/15.06.21	रेत	1868.57	1.00	1.62	1.62	60	97.20
26	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	031/15.06.21	बजरी	4671.42	2.00	1.52	3.04	60	182.40
27	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0035/30.06.21	रेत	18685.7	10.00	1.62	16.20	60	972.00
28	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0035/30.06.21	बजरी	26159.9	14.00	1.52	21.28	60	1276.80
29	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0035/30.06.21	बोल्डर	15714.3	18.00	2.24	40.32	60	2419.20
30	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0035/30.06.21	कट स्टोन	15428.52	10.00	2.24	22.40	60	1344.00
31	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0029/25.05.21	रेत	7474.28	4.00	1.62	6.48	60	388.80
32	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0029/25.05.21	बजरी	7474.28	4.00	1.52	6.08	60	364.80
33	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0028/14.05.21	रेत	7848	4.00	1.62	6.48	60	388.80
34	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0028/14.05.21	बजरी	9810	4.00	1.52	6.08	60	364.80
35	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0027/13.05.21	रेत	10791	5.50	1.62	8.91	60	534.60
36	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0027/13.05.21	बजरी	12753	6.50	1.52	9.88	60	592.80
37	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0025/13.05.21	रेत	5886	3.00	1.62	4.86	60	291.60
38	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0025/13.05.21	बजरी	5886	3.00	1.52	4.56	60	273.60
39	राकेश कुमार गाँव हवानी डाकघर रिवाल्सर तहसील बल्ह जिला मंडी	0025/13.05.21	कट स्टोन	3300	2.00	2.24	4.48	60	268.80
									37743.80